निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 278) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 मई 2020

एस० ओ०.121 दिनांक 6 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 9, दिनांक 03.01.2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 20 दिनांक 03.01.2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, और जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है,-- ,

तालिका

क्र॰सं॰ (1)	**पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**कर अवधि** (3)	**शर्त** (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है ।" ।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)-795)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

6 मई 2020

एस० ओ० 121 दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–8)795)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 121 Dated 6th May 2020--In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 9 dated the 03.01.2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20 dated the 03.01.2019, namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:--.

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020

2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 29th day of June, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)795)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 278–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in